न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री गंगा भील वगै **बनाम** धन्ना भील वगै0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट...न. 186 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.06.2017	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम बरण में पेंश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का बरण भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 23 के **आराजी सख्यां 1054, 1055, 1296, 1297, 1300, 1301, 1302, 1303 कुल रकबा 15–07 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 09 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश प्रार्थीगण के दादा व श्वसुर गोकल का नाम गलत तौर पर कजोड पिता गोकल दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा पेमा बालु अमरा के लाऔलाद फौत हो जाने से विवादित आराजीयात पारिवारिक सजरे अनुसार प्रार्थीगण का 1/5 हक हिस्सा निहित कराये जाने बाबत एक वादपत्र भी हमराह प्रस्तुत है। यदि भविष्य में विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 09 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का विकय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी द्वारा कथित तौर पर प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस प्रकार आंशिक स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का बरण भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 23 के **आराजी सख्यां 1054, 1055, 1296, 1297, 1300, 1301, 1302, 1303 कुल रकबा 15–07 बीघा** में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 09 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	